

खाद्यान्नों हेतु अनिवार्य जूट पैकेजिंग

संदर्भ

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने जूट की बोरीयों में अनिवार्य पैकेजिंग संबंधी मानकों का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

महत्त्वपूर्ण बट्टि

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने जूट पैकेजिंग सामग्री (JPM) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानकों का दायरा बढ़ाने हेतु मंजूरी नमिनलखिति रूप में दी है-

- CCEA ने यह मंजूरी दी है कि 100 प्रतिशत खाद्यान्नों और 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य रूप से जूट (पटसन) की विविध प्रकार की बोरीयों में ही करनी होगी। विभिन्न प्रकार की जूट की बोरीयों में चीनी की पैकेजिंग करने के नरिणय से जूट उद्योग के विविधीकरण को बढ़ावा मलैगा।
- आरंभ में खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिये जूट की बोरीयों के 10 प्रतिशत ऑर्डर रविर्स नीलामी के ज़रिये 'जेम पोर्टल' पर दिये जाएंगे, जसिसे धीरे-धीरे कीमतों में सुधार का दौर शुरू हो जाएगा।

क्या होगा प्रभाव?

- इस नरिणय से जूट उद्योग के विकास को बढ़ावा मलैगा, कच्चे जूट की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जूट कषेत्र का विविधीकरण होगा और इसके साथ ही जूट उत्पाद की मांग बढ़ेगी जो आगे भी नरितर जारी रहेगी।
- लगभग 3.7 लाख मज़दूर और कृषकषेत्र से जुड़े लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिये जूट कषेत्रों पर ही नरिभर हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है।
- जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी कषेत्र पर ही नरिभर रहता है क्योंकि सरकारी कषेत्र से ही खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिये प्रत्येक वर्ष 6500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मूल्य की जूट बोरीयों की खरीद की जाती है।
- इससे जूट उद्योग की मांग नरितर बनी रहती है और साथ ही इस कषेत्र पर नरिभर मज़दूरों एवं कसिानों की आजीविका भी चलती रहती है।
- CCEA द्वारा लिये गए इस नरिणय से देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर कषेत्रों, विशेषकर पश्चिमि बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले कसिान एवं मज़दूर लाभान्वति होंगे।

जूट कषेत्र को आवश्यक सहयोग देने हेतु सरकार द्वारा किये गए अन्य उपाय:

- भारत सरकार 'जूट आईकेयर' के ज़रिये कच्चे जूट की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग एक लाख जूट कसिानों को आवश्यक सहयोग देती रही है।
- कृषविज्ञान से जुड़ी उन्नत प्रथाओं अथवा तौर-तरीकों का प्रचार-प्रसार कयिा जाता रहा है, जनिमें सीड डरलि का इस्तेमाल कर कतारबद्ध बुवाई करना, पहरे वाले फावड़े एवं खूँटे वाले नरिई उपकरणों का उपयोग कर खरपतवार का समुचित प्रबंधन करना, उन्नत प्रमाणति बीजों का वतिरण करना और सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से फसल को गलाने की व्यवस्था करना शामिल हैं।
- जूट कषेत्र में पारदर्शतिा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दसिंबर, 2016 में 'जूट स्मार्ट' के नाम से एक ई-सरकारी पहल का शुभारंभ कयिा गया था।
- इसके अलावा, भारतीय पटसन नगिम MSP और वाणज्यिक परचालनों के तहत जूट की खरीद के लिये जूट कसिानों को 100 प्रतिशत धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरति कर रहा है।

स्रोत- पीआईबी